न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 100/2019 (138/2013)
GCMS NO. : 2013/00047

–:: वादी :–

1. बृजगोपाल दत्तक पुत्र कुन्दनमल जी जाति ब्राह्मण निवासी गांव घोडावड़ तहसील जैतारण जिला–ब्यावर

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. अयोध्यादेवी बेवा नथमल जी
2. सकूबाई पुत्री कुन्दनमल जी
3. गोविन्दलाल पुत्र फाउलाल
4. मांगीलाल पुत्र हजारी जी फौत के कायम मुकाम
   4/1– बंकटलाल पुत्र मांगीलाल
   4/2– पुसाराम पुत्र मांगीलाल
5. हापुलाल पुत्र हजारीराम जी फौत के कायम मुकाम
   5/1 किशोरीलाल पुत्र हापुलाल
   5/2 सत्यनारायण पुत्र हापुलाल
   5/3 रामदेव पुत्र हापुलाल
   5/4 गिरीराज पुत्र हापुलाल
6. जमना बेवा बाबुलालजी
7. रामदेव पुत्र बंकटलाल
8. भगवानदास पुत्र बंकटलाल
9. नन्दकिशोर पुत्र बंकटलाल
10. सुरेश पुत्र बंकटलाल
11. सरिया बाई बेवा बंकटलाल
12. राजेन्द्र पुत्र तुलसीरामजी फौत के कायम मुकाम
    12/1 गुड्डु पुत्र राजेन्द्र जी (जरिये कुदरती वलीया माता चीनीबाई)
    12/2 चीनीबाई पत्नी राजेन्द्रजी
13. श्यामसुन्दर पुत्र तुलसीरामजी
14. मीराबाई बेवा तुलसीरामजी
15. कन्हैयालाल पुत्र खींवराज जी फौत के कायम मुकामानः–
    15/1 हरीप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल
    15/2 श्रीराम पुत्र कन्हैयालाल
16. बजरंगलाल पुत्र रामप्रसाद जी
17. गुलाबचंद पुत्र रामप्रसाद जी
18. गैरीदेवी पत्नी रामप्रसाद जी
19. रामनिवास पुत्र इन्दूलाल जी
20. विष्णुगोपाल पुत्र इन्दूलाल जी
21. मनोहरलाल पुत्र इन्दूलाल जी
22. शान्तादेवी बेवा इन्दूलाल जी
23. नेनूराम पुत्र भोलाराम जी फौत के कायम मुकाम
    23/1 नथमल पुत्र नेनाराम
24. माणक पुत्र जगदीश जी
25. सुरेश पुत्र जगदीश जी

26. मैना बेवा जगदीश जी
जातियान ब्राह्मण निवासी गांव घोडावड़
तहसील जैतारण जिला–ब्यावर
27. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी जैतारण
जिला–ब्यावर।
28. पटवारी पटवार हल्का घोडावड
तहसील जैतारण जिला– ब्यावर

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 23.09.2019

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनांकः– 25/01/2024**

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज कचरूराम जी के वंशज है। कचरूराम जी की वंश वृक्षावली वादपत्र में दर्शायी गई है। उक्त वर्णित वंशावली के माफिक किशनाराम जी के चार जायन्दा पुत्र थे। जो कमशः बद्रीनारायण, कुन्दनमल, झूमरलाल, मदनलाल जी थे। इन चारों ही भाईयों के कोई जायन्दा पुत्र नहीं हुआ था। तब परिवार में सबसे बड़े व कर्ताधर्ता बद्रीनारायण जी थे। तब बद्रीनारायण जी ने अपने पिता किशनाराम जी के परिवार का वंश वृक्ष आगे बढाने की मंशा से अपने भाई कुन्दनमल के एक पुत्री ही होने की वजह से अपने परिवार में एक मात्र पुत्री सकूदेवी के भाई बनाने के लिये एवं चारों ही भाईयों का वंश वृक्ष आगे चले व घर खुला रहे तथा सकूदेवी का भी अपने पीहर में आवागमन बना रहे इसी मंशा से अपने छोटे भाई कुन्दनमल व गोदावरी देवी को प्रोत्साहित करते हुये कहा कि वह अपने रिश्ते में अपने भाई फाउलाल जी के पोत्र एवं वादी बृजगोपाल को गोद लेने की मंशा से बृजगोपाल जी के जन्मत पिता गोविन्दराम जी एवं उनकी पत्नी से निवेदन किया था। तब सभी समाज व गांव वालों के सामने वादी के जन्मत पिता गोविन्दराम जी व माता धापूदेवी ने वादी को किशनाराम जी के वंशज कुन्दनमल व उनकी पत्नी गोदावरीबाई के गोद दिया था। गोदनामा की रश्म गांव घोडावड में सम्पन्न की गई थी। तथा दत्तक अनुष्ठान भी किया गया था। तत्पश्चात कुन्दनमल जी, झूमरलाल जी व मदनलाल जी का स्वर्गवास हो गया था। तथा परिवार में केवल चन्द्रीबाई, गोदावरीबाई व सकूदेवी एवं बद्रीनारायण जी थे। तब भविष्य में वृजगोपाल जो कि कुन्दनमल जी व गोदावरीदेवी के गोद गया था को लेकर कोई वाद विवाद नही हो इसी मंशा से परिवार के मुखिया व बड़े भाई बद्रीनारायण जी ने ग्रामवासियों व समाज के रूबरू एक गोदनामा भी लिखत में तैयार किया था। जो गोदनामा 120/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखत गोदनामा दिनांक 25.11.1997 का इस वादपत्र के साथ पेश है। तब से ही वादी कुन्दनमल जी के पुत्र के रूप में जाना व पहचाना जा रहा है। इसके समर्थन में वादी की शादी की पत्रिका, परिचयपत्र, राशनकार्ड, आदि सभी वादपत्र के साथ पेश है। बद्रीनारायण, कुन्दनमल, व झूमरलाल के कोई जायन्दा पुत्र नही

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

होने की वजह से एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी वादी ही है। तथा वादी बृजगोपाल ने ही ब्रदीनारायण जी, चन्द्रीबाई, गोदावरीदेवी, मदनलाल जी, कुन्दनमल जी, व झूमरलाल जी का स्वर्गवास होने पर पिण्डदान किया था। व उनके पुत्र के रूप में समस्त रश्मों का निर्वहन करते हुये बारवां व गंगाजल भी किया था। जाति समाज में भी इन सभी के उत्तराधिकारियों के रूप में वादी को ही जाना व पहचाना जा रहा है। राजस्व मौजा गांव घोड़ावड पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन निम्नलिखित विवरण की आई हुई है। जिसका विवरण अग्रलिखित है कि खसरा नम्बर 168 रकबा 21-01 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 169 रकबा 9-06 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 170 रकबा 5-12 बीघा किस्म गै-मु, खसरा नम्बर 171 रकबा 0-13 बीघा किस्म गै-मु., खसरा नम्बर 172 रकबा 5-00 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 173 रकबा 10-17 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 174 रकबा 14-14 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 174/1 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै-मु., खसरा नम्बर 175 रकबा 11-00 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 176 रकबा 0-10 बीघा किस्म गै-मु., खसरा नम्बर 177 रकबा 0-07 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 178 रकबा 0-09 बीघा किस्म गै-मु., खसरा नम्बर 179 रकबा 0-09 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 200 रकबा 0-05 बीघा किस्म गै-मु., खसरा नम्बर 238 रकबा 42-12 बीघा किस्म बा-अ., खसरा नम्बर 280 रकबा 4-03 बीघा किस्म बा-अ., खसरा नम्बर 301 रकबा 0-06 बीघा किस्म बा-दो., खसरा नम्बर 413 रकबा 12-05 बीघा किस्म बा-अ., खसरा नम्बर 443 रकबा 3-03 बीघा किस्म बा-अ., खसरा नम्बर 444 रकबा 10-04 बीघा किस्म बा-अ., (कुल खसरा 20 कुल रकबा 153-09 बीघा) उक्त वर्णित आराजी के पक्षकारान रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि में वादी का 1/06 वां हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार है। एवं मौके पर भी इसी हिस्से के अनुसार वादी का कब्जा काश्त है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण भी माफिक अपने हक हिस्से अनुसार इस आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस भूमि को वादपत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त विवादित भूमि में ब्रदीलाल, कुन्दनलाल, झूमरलाल पिसरान किशनलाल जी व नथमल पुत्र मदनलाल जी 1/6 वे हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार थे। उक्त सभी व्यक्तियों का स्वर्गवास हो चूका है। तथा नथमल जी की पत्नी अयोध्यादेवी तथा कुन्दनमल जी की पुत्री सकूदेवी पिछले लगभग 40 वर्षों से हैदराबाद में ही रह रहे है। इस अवधि के दौरान यह ग्राम घोड़ावड़ में न तो कभी भी आये न ही रहे थे. 1/6 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर अकेले वादी का ही समझ समझाईश से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी कुन्दनमल जी का दत्तक पुत्र हैं। जिसे दत्तक माता गोदावरी देवी ने विधि विधान अनुसार गोद लिया है। तथा वादी का कुन्दनमल जी का दत्तक पुत्र होने से बद्रीलाल जी व झूमरलाल जी के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि तथा कुन्दनमल जी व नथमल जी के हक हिस्से की भूमि एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तअनुसार वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के माफिक भी इस विवादित भूमि पर एक मात्र वादी का हक अधिकार बनता है। फिर भी तत्कालीन हल्का पटवारी ने दिनांक 04.12.2010 को विधिक प्रावधानों से परे जाकर किशनलाल जी के चारों पुत्रों के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही बिना

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कर्मचारी (जारी...)
जैतारण

विधिक प्रक्रिया अपनाये बाले बाले नामान्तरण संख्या 910 की कार्यवाही कर उक्त जमीन अकेले अयोध्या देवी व सकूदेवी के नाम दर्ज कर दी। जो कतई गलत है। नामान्तरण संख्या 910 मौजा घोड़ावड भी वादी के हक व अधिकारों के विरुद्ध होने से शून्य व निश्प्रभावी दस्तावेज है। जिसे वादी रद्द घोषित करवाने का अधिकारी है। व माफिक अपने हक अधिकारों के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उक्त विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाति है। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। उक्त विवादित भूमि की वर्तमान में कीमते बढ़ गई है। इसी वजह से प्रतिवादीगण बंकटलाल की नियत अब खराब हो गई है। भूमि संयुक्त व शामलाति होने से प्रतिवादीगण बंकटलाल माठ व बंटवाड़ा को लेकर के व रास्ते को लेकर के वाद विवाद करता है। तथा इस आराजी के विशिष्ट भू भाग को अजनबी केता को जरिये बेचान के हस्तान्तरण करने को आमादा है। जबकि अभी तक इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस क कोई बंटवाडा नही हुआ है। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण बंकटलाल व दिगर प्रतिवादीगण को इस विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने के लिये कई बार निवेदन किया। वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर आधूनिक तरीके से काश्त करना चाहते है। इसलिये वादी को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाडा आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादीगण बंकटलाल द्वारा नही मानने व मौके पर बिना बंटवाड़ा करवाये ही किसी अजनबी केता को उक्त भूमि को जरिये रहन बेचान के हस्तान्तरण कर देना चाह रहा है। तब वादी द्वारा बंटवाड़ा किये जाने से पहले बेचान नही करने का कहने पर एवं बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का कहने पर दिनांक 20.04.2013 को ऐसा बंटवाडा कराने से प्रतिवादी बंकटलाल ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। तब इस अवस्था में वादी के पास यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उक्त विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाति है। जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। प्रतिवादी बकंटलाल व अयोध्यादेवी व सकूबाई झगड़ालू प्रवृति के है। जो हैदराबाद रहते है। एवं मौके पर उसका कोई कब्जा व काश्त व हक अधिकार नही है। न ही उसे मालूम है कि उसके हक हिस्से की भूमि कहां पर स्थित है। फिर भी बिना बंटवाड़ा कराये व मौके पर बिना जमीन का कब्जा लिये ही केवल राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के आधार पर ही इस भुमि के विशिष्ट भुभाग को अजनबी केता को बेचान कर इस भुमि के बहुमूल्य व उपयोगी स्थल का कब्जा भी अजनबी केता को सौप देना चाह रहा है साथ ही वादी को उनके हक हिस्से की भूमि में आवागमन करने में बाधा व अड़चन भी पैदा कर रहा है। प्रतिवादीगण संख्या एक की नियत बद है। वह वादी के हक हिस्से की भूमि भी स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहा है। व इस भुमि के विशिष्ट भु भाग को बेचान कर अजनबी केता को सौप देना चाह रहा है इसी नियत से आये दिन वाद विवाद कर रही हैं, वादी कानून को मानने वाले शांत प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिनके कब्जे काश्त में प्रतिवादी बकंटलाल जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहा है। तथा वादी को उनके आराजी में प्रवेश करने से भी रास्ते में व्यवधान डालकर रास्ते रोक रहा है। प्रतिवादीगण को वादी व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहा है। तब ऐसी विषम

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
फेतारण

परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकडियों के बल पर वादी को बेदखल कर अपना स्वयं का कब्जा कर उक्त आराजी को बेचान कर दिया तो वादी अपने खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें। तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों विरोध करेगें जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादपत्र के प्रतिवादीगण संख्या 27 तहसीलदार जी जैतारण एवं प्रतिवादीगण संख्या 28 पटवारी जी पटवार हल्का घोडावड जो भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। उक्त वाद का बिनाय वाद दिनांक 20.04.2013 को प्रतिवादीगण संख्या एक द्वारा उक्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इन्कार करने पर व शामलाति भूमि किसी अजनबी केता को बेचान करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न होता है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित आराजी में ब्रदीलाल, कुन्दनलाल, झूमरलाल पिसरान किशनलाल जी व नथमल पुत्र मदनलाल जी का स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर वादी को इस आराजी का रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं नामान्तरण संख्या 910 पटवार हल्का घोड़ावड को रद्द घोषित किया जावे। साथ ही वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित विवादित आराजी में से वादी के 1/6 वें हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जावें । वादी का राजस्व खाता अलग किया जावें। वादी के हक हिस्से की भूमि नक्शा ट्रेश में अलग से तरमीम की जावे व लगान अलग से बांटा जावे। तथा मौके पर वादी की आराजी की नाप चौप कर पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाई जाये। स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की सादिर फरमायें कि बाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी में वादी अपने 1/6 वे हक हिस्से की आराजी में बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य, करे या करवावें तथा भूमि का उपयोग उपभोग करे तो उसमें प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवार के सदस्य रिश्तेदार, हाली एजेन्ट, मजदूर या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी न तो करे न ही करावें। तथा न ही प्रतिवादीगण इस अराजी के विशिष्ट भु–भाग का रहन बेचान बक्सीस वसीयत आदि किसी भी रूप में अन्य हस्तानन्तरण अजनबी केता के पक्ष में नहीं करें। ऐसा करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें व ऐसा निर्णय व डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमावे । मौजूदा वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 के बाद तामिल सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अतः तनकीयात कायम

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर (ट्रेनी)
जैतारण

नहीं की जाकर वादी को पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य वादी PW-1 व साक्ष्य अन्य गवाह श्यामसिंह पुत्र किशोर सिंह PW-2, मल्लाराम पुत्र तेजाराम PW-3 सम्पन्न कि गई दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। पत्रावली पर अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी भी कार्यवाही एवं आदेशार्थ लम्बित नहीं होने से प्रकरण में वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मौजा गांव घोडावड पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन जिसका विवरण अग्रलिखित है- खसरा नम्बर 168 रकबा 21-01 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 169 रकबा 9-06 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 170 रकबा 5-12 बीघा किस्म गै-मु, खसरा नम्बर 171 रकबा 0-13 बीघा किस्म गै-मु., खसरा नम्बर 172 रकबा 5-00 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 173 रकबा 10-17 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 174 रकबा 14-14 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 174/1 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै-मु., खसरा नम्बर 175 रकबा 11-00 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 176 रकबा 0-10 बीघा किस्म गै-मु. , खसरा नम्बर 177 रकबा 0-07 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 178 रकबा 0-09 बीघा किस्म गै-मु., खसरा नम्बर 179 रकबा 0-09 बीघा किस्म चा-चारम, खसरा नम्बर 200 रकबा 0-05 बीघा किस्म गै-मु. , खसरा नम्बर 238 रकबा 42-12 बीघा किस्म बा-अ., खसरा नम्बर 280 रकबा 4-03 बीघा किस्म बा-अ., खसरा नम्बर 301 रकबा 0-06 बीघा किस्म बा-दो., खसरा नम्बर 413 रकबा 12-05 बीघा किस्म बा-अ. , खसरा नम्बर 443 रकबा 3-03 बीघा किस्म बा-अ., खसरा नम्बर 444 रकबा 10-04 बीघा किस्म बा-अ.(कुल खसरा 20 कुल रकबा 153-09 बीघा) जमाबन्दी संवत् 2016-2019, जमाबन्दी संवत् 2025-26, जमाबन्दी संवत् 2028-31 जमाबन्दी संवत् 2032-35, जमाबन्दी संवत् 2036-39, जमाबन्दी संवत् 2041-2044, जमाबन्दी संवत् 2045-2048, जमाबन्दी संवत् 2057-2060,जमाबन्दी संवत् 2053-2056, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011-2030 का अवलोकन किया गया । उक्त समस्त जमाबन्दीयों में वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार काश्तकार बद्रीलाल, कुन्दनमल, झूमरमल पिता किशनलाल कुल हिस्सा 1/8 व नथमल पुत्र मदनलाल का 1/24 हिस्सा दर्ज है। म्यूटेशन संख्या 910 (प्रदर्श-3) दिनांक 24.12.2010 को भरा गया। जिसमें ''बद्रीलाल, कुन्दनमल, झूमरमल पिता किशनलाल व नथमल

(श्याम सुन्दर किशोरी)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

पुत्र मदनलाल का करीबन 30-35 वर्ष पूर्व इंतकाल होने से उनके एकमात्र उतराधिकारी अयोध्याबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय नथमल व सकुबाई पुत्री कुन्दनमल के नाम नामान्तरकरण भरा गया'' का अंकन है। जमाबन्दी संवत् 2065-68 में नामान्तरकरण संख्या 910 दिनांक 24.12.2010 के द्वारा जरिये विरासत बद्रीलाल, कुन्दनमल, झूमरमल पिता किशनलाल हिस्सा 1/8 व नथमल पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/24 के स्थान पर अयोध्याबाई बेवा नथमल व सकुबाई पुत्री कुन्दनमल हिस्सा 1/6 दर्ज किया जाने का अंकन है।

वादी द्वारा हस्तगत वाद में कुन्दनमल के दत्तक पुत्र होने का कथन किया तथा उक्त संबंध में लिखित गोदनामा (प्रदर्श-1), विवाह पत्रिका (प्रदर्श-16) व भारत निर्वाचन आयोग का पहचान-पत्र (प्रदर्श-17 ।) प्रस्तुत किया है।

2. वादी के कुन्दनमल के दत्तक पुत्र व विधिक वारिस होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज लिखित गोदनामा (प्रदर्श-1), विवाह पत्रिका (प्रदर्श-16) व फोटो पहचान-पत्र (प्रदर्श-17 A) का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित गोदनामा दिनांक 25.11.1997 किया गया है, जो की एक अपंजीकृत दस्तावेज है। साथ ही वादी द्वारा विवाह पत्रिका प्रस्तुत की गई है। जिसे विश्वसनीय सबूत नहीं माना जा सकता है। वादी द्वारा कुन्दनमल के विधिक वारिस होने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का पहचान-पत्र (प्रदर्श-17 A) प्रस्तुत किया गया है, जो केवल एकमात्र विधिक दस्तावेज है। उक्त वर्णित विवेचन एवं विधिक दस्तावेजों के अभाव में उक्त विवेचन वादी के विरूद्ध साबित होता है।

3. वादी द्वारा अपने साक्ष्य में स्वयं का साक्ष्य शपथ-पत्र PW-1 व साक्ष्य अन्य गवाह श्यामसिंह पुत्र किशोर सिंह PW-2, मल्लाराम पुत्र तेजाराम PW-3 प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श करवाए व गवाहान के बयान कलमबद्ध करवाकर साक्ष्य सम्पन्न की गई। उक्त साक्ष्य शपथ-पत्र मय बयान का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य-स्वरूप श्यामसिंह पुत्र किशोर सिंह PW-2, मल्लाराम पुत्र तेजाराम PW-3 का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों गवाह न तो वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है, न ही रक्त संबंध रखने वाले परिवार के व्यक्ति है। जो कि वाद के सम्यक् न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अतः उक्त वर्णित विवेचन एवं प्रदर्श दस्तावेज व साक्ष्य शपत्र के आधार पर यह विवेचन वादी के विरूद्ध साबित होता है।

4. वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि म्यूटेशन संख्या 910 दिनांक 24.12.2010 बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम जमाबंदी खतौनी व राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज दर्ज किया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी द्वारा उक्त कथनों के समर्थन

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादी वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम गलत इन्द्राज के कथन किये है परन्तु प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में इन्द्राज किस प्रकार से गलत है के सम्बन्ध में न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया और न ही कोई कथन किये है जिससे की वादी के उक्त कथन साबित होते हो।

5. उक्त विवेचन के आधार पर वादी यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से की घोषणा अपने पक्ष में करवाने के अधिकारी है। साथ ही वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदार-काश्तकार का घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने में असफल रहे है। अतः वादी के वादग्रस्त आराजी में खातेदार-काश्तकार नहीं होने से वादग्रस्त आराजी के 1/6वें हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा चाहे जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अनुतोष सारहीन साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विव्रम अभिमत है कि वादी अपने वाद-पत्र को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः वादी का वाद भली भांति साबित न होने व सारहीन होने से हम अस्वीकार किया जाना विधि-सम्मत समझते है।

-:: आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भाँति साबित न होने व सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 25/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-:: वादी :- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण :-**

वादी:

1. बृजगोपाल दत्तक पुत्र कुन्दनमल जी जाति ब्राह्मण निवासी गांव घोडावड़ तहसील जैतारण जिला-ब्यावर

बनाम

प्रतिवादीगण:

1. अयोध्यादेवी बेवा नथमल जी
2. सकूबाई पुत्री कुन्दनमल जी
3. गोविन्दलाल पुत्र फाउलाल
4. मांगीलाल पुत्र हजारी जी फौत के कायम मुकाम
   4/1- बंकटलाल पुत्र मांगीलाल
   4/2- पुसाराम पुत्र मांगीलाल
5. हापुलाल पुत्र हजारीराम जी फौत के कायम मुकाम
   5/1 किशोरीलाल पुत्र हापुलाल
   5/2 सत्यनारायण पुत्र हापुलाल
   5/3 रामदेव पुत्र हापुलाल
   5/4 गिरीराज पुत्र हापुलाल
6. जमना बेवा बाबुलालजी
7. रामदेव पुत्र बंकटलाल
8. भगवानदास पुत्र बंकटलाल
9. नन्दकिशोर पुत्र बंकटलाल
10. सुरेश पुत्र बंकटलाल
11. सरिया बाई बेवा बंकटलाल
12. राजेन्द्र पुत्र तुलसीरामजी फौत के कायम मुकाम
    12/1 गुड्डु पुत्र राजेन्द्र जी (जरिये कुदरती वलीया माता चीनीबाई)
    12/2 चीनीबाई पत्नी राजेन्द्रजी
13. श्यामसुन्दर पुत्र तुलसीरामजी
14. मीराबाई बेवा तुलसीरामजी
15. कन्हैयालाल पुत्र खींवराज जी फौत के कायम मुकामानः-
    15/1 हरीप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल
    15/2 श्रीराम पुत्र कन्हैयालाल
16. बजरंगलाल पुत्र रामप्रसाद जी
17. गुलाबचंद पुत्र रामप्रसाद जी
18. गैरीदेवी पत्नी रामप्रसाद जी
19. रामनिवास पुत्र इन्दूलाल जी
20. विष्णुगोपाल पुत्र इन्दूलाल जी
21. मनोहरलाल पुत्र इन्दूलाल जी
22. शान्तादेवी बेवा इन्दूलाल जी
23. नेनूराम पुत्र भोलाराम जी फौत के कायम मुकाम
    23/1 नथमल पुत्र नेनाराम
24. माणक पुत्र जगदीश जी
25. सुरेश पुत्र जगदीश जी
26. मैना बेवा जगदीश जी

जातियान ब्राह्मण निवासी गांव घोडावड तहसील जैतारण जिला-ब्यावर

27. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला-ब्यावर।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

28. पटवारी पटवार हल्का घोडावड
तहसील जैतारण जिला– ब्यावर

मु0न0 :रा0वा0 स0: 100/2019 (138/2013)

राजस्व वाद बाबत् **घोषणा, बंटवाडा** एवं स्थाई निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 88 , 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25.01.2024 को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजानः–	3.00		मिजानः–	0.00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।